यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

ठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 224/2023
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 RT Act.

वादीगण – 1. करीम पुत्र अब्दुला के का.मु. 1/1 सुभान पुत्र करीम 1/2 भुंगर पुत्र करीम 1/3 दोषू पुत्र करीम 1/4 हुसैन पुत्र करीम जातियान मुसलमान निवासी हरजीयाणियों की ढाणी बींजासर तहसील धनाऊ

बनाम

प्रतिवादीगण –1. केलूदेवी पत्नी घाघाराम उर्फ साजनराम जाति भील 2. भंवराराम पुत्र फुलुराम 3. गाजीराम पुत्र फुलुराम 4. चेलाराम पुत्र फुलुराम 5. खमीशा पुत्र फुलुराम जाति मेघवाल 6. जलाल पुत्र भाईखान 7. अमत पत्नी भाईखान जातियान मुसलमान निवासी हरजीयाणियों की ढाणी, बींजासर तहसील सेड़वा 8. तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण वादी वकील – श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रतिवादीगण – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.03.2026

वादी के वाद का संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र बींजासर तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 941/432 रकबा 86.04 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वादी के उक्त खेत खसरा संख्या 941/432 के सेढा पडौसी खातेदार है। जो धनिक, बलशाली व्यक्ति है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो वादी के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 941/432 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है न ही कब्जा काश्त की है। वादी की उक्त भूमि पर जो प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है उस पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाना आवश्यक है। इसलिये यह वाद बेदखली एवं वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर प्रतिवादीगण का जबरन कब्जा किया हुआ होने से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाने के लिये यह वाद लाया गया है।

वादी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी करवाने का श्रीमान न्यायालय में आवेदन संख्या 293/2014 अनवान् करीम बनाम मिश्री वगैराह पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया। तहसीलदार सेड़वा के आदेश दिनांक 10.11.2019 के निर्देशानुसार हल्का पटवारी व आर.आई ने दिनांक 11.11. 2019 को मौका निरीक्षण एवं मौका की जमीन नापकर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया गया जिसमें खसरा संख्या 94/432 रकबा 86.04 बीघा के नक्शे में दर्शाये बरंग हरा स्थान पर रकबा 01.04 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 का तथा बरंग लाल स्थान पर रकबा 7.02 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का व बरंग आसमान स्थान पर रकबा 9.00 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जो मौका फर्द में बरंग हरा, लाव व आसमानी से दर्शाया गया है जो वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 941/432 में होना पाया गया, जिस पर प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा नही हटाया गया जिस पर हल्का पटवारी अवैध कब्जा हटाने हेतु समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी गई।

वादी के उक्त शांतिपूर्ण कब्जा व काश्त की खातेदारी की जमीन में से जो रकबा की जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसे इस वाद जरिये बेदखल कर कब्जा नही हटवाया गया तो प्रतिवादीगण का कब्जा दिनोंदिन पक्का व पुख्ता हो जावेगा जिसको भविष्य में हटवाने के लिये भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी नही कर सकेंगे। इसलिये वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। वादी के खातेदारी के खेत मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बींजासर, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 941/432 रकबा 86.04 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 7 जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा हटवा कर कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिये उक्त वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त बाजवूद अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु मुकर्र की गई। वादी साक्ष्य में वादी 1/1 सुभान पुत्र करीम, वादी सं. 1/2 भुंगर पत्र करीम, वादी सं. 1/3 दोषु पुत्र करीम, वादी सं. 1/4 हुसैन पुत्र करीम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रदर्श करवाये गये। पत्रावली वास्ते बहस हेतु मुकर्र की गई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बींजासर,

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 941/432 रकबा 86.04 बीघा का आया हुआ है उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 7 जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा हटवाते हुए कब्जा वादी को पुनः दिलवाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बींजासर, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 941/432 रकबा 86.04 बीघा किस्म बारानी सोयम का आई हुई है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा भूमि पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 से 7 को वादी के उक्त खातेदारी की भूमि पर अवैध अतिक्रमी की हैसियत से जबरदस्ती काबिज है इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली एवं कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बींजासर, तहसील सेड़वा हाल तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 941/432 रकबा 86.04 बीघा किस्म बारानी सोयम पर नक्शे में दर्शाये बरंग हरा स्थान पर रकबा 01.04 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 का तथा बरंग लाल स्थान पर रकबा 7.02 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का व बरंग आसमान स्थान पर रकबा 9.00 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया, जो मौका फर्द में बरंग हरा, लाव व आसमानी से दर्शाया गया है जो वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 941/432 में होना पाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा किये गये जबरन अवैधानिक रूप से कब्जे/अतिक्रमण को हटाकर कब्जा पुनः वादी को सुपुर्द करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा हाल धनाऊ को दिया जाता है। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु तहसीलदार सेड़वा हाल धनाऊ को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा हाल धनाऊ को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन